प्रकरण संख्या 8/2017 हीरा बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.01.2023	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बडोदिया में खाता संख्या 268 कुल खेत 16 रकबा 3.81 हैक्टर भूमि जमाबन्दी संवत् 2061 में प्रतिवादी संख्या 1 से 24 के खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 व उसके भाई स्वर्गीय वजेंग पिता कालिया भील ने अपने हिस्से की साबिक आराजी नंबर 2093 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा हाल आराजी नंबर 2464 रकबा 0.27 हैक्टर भूमि दिनांक 15.06.1950 को कच्चा दस्तावेज तहरीर कर 95/– रूपये में प्रतिवादी संख्या 25 मीरबाज खां पिता शाह अफजल खां मुसलमान को विक्रय कर दिया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 24 अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, जबकि प्रतिवादी संख्या 25 सवर्ण जाति का है। उक्त विक्रय काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 में वर्जित है। अतः भूमि बिलानाम दर्ज कर कब्जा प्रार्थी को दिलाया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28.10.2010 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित भूमि को सिवायचक घोषित करते हुए कब्जेराज लेने का आदेश दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 21.11.2014 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 23/1 व 23/2 की ओर से वकील श्री ललित पाटीदार उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण को सम्मन की तामिल प्रोपर नहीं हुई है एवं न ही अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है। प्रार्थीगण को उक्त प्रकरण की कोई जानकारी नहीं थी। माह अक्टूबर में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 23 जब मौके पर आकर प्रार्थीगण को धमकाने लगे, तब उक्त प्रकरण की जानकारी हुई। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया। हमने उक्त आवेदन पर मन[illegible]। अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं [illegible] न्यायहित में मयाद कण्डोन की [illegible] ग्रहण की जाती है। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट [illegible] अपील मीमों एवं [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:13:16 IST
Reason: SelfAttested

<u>प्रकरण संख्या 8/2017 हीरा बनाम सरकार</u>

बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट को प्रोपर तामिल अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं करवायी गयी है एवं अपीलान्ट को बिना सुने एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने कच्चे दस्तावेज के आधार पर निर्णय पारित किया है, जिसे किसी भी प्रकार से साबित नहीं किया गया है। अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि का किसी प्रकार का अन्तरण नहीं किया गया है, न ही आधिपत्य का अन्तरण किया गया है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 42 के आधार पर जो निर्णय पारित किया है, वह त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए निर्णय पारित किया है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्टगण को अधिनस्थ न्यायालय में सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है। हम यह भी पाते हैं कि अधिनस्थ न्यायालय ने एक कच्चे दस्तावेज, जिसे किसी भी पक्षकार द्वारा प्रमाणित भी नहीं करवाया गया है, उसके आधार पर विक्रय धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विपरीत मानते हुए रेकार्डेड खातेदार को बिना सुने उसकी भूमि सिवायचक दर्ज करने एवं कब्जेराज लेने का एकपक्षीय आदेश पारित किया है, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2010 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्टगण को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूत के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.03.2023 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 17.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:13:16 IST
Reason: SelfAttested

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर